Jalore Division

1. Suthari

Nagaur Division

1. Bitan
2. Rasaliabas
3. Jatawas
4. Payli
5. Khakharki

Sirohi Division

1. Khejriyali

Sriganganagar Division

1. Ahmedpura
2. Chak 7 G. D.

Note : Post Offices have already been sanctioned at places shown under 'Barmer' 'Chittorgarh' and 'Sriganganagar' Divisions. Proposals in respect of other places are to be processed in consultation with Ministry of Finance.

Teaching experience of the teachers promoted in Delhi University

1980. SHRI KAILASH PATI MISHRA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the names of teachers/lecturers promoted as Readers and Professors under the merit promotion scheme of the Delhi University during 1984, 1985 and 1986 and those who became eligible in 1987 and the hours of teaching per week done by them during the period of their work out-side Delhi University which has been counted as teaching experience for the purpose of promotion stating the courses and papers taught, name of the institutions where taught in each case, alongwith the names of the documents relied upon by the University to determine eligibility in each case; and

(b) whether the date of promotion eligibility claimed by these teachers was decided administratively after each of them had filed court cases which were later compromised, withdrawn or settled and if so, court, relief claimed by eventual decision of University Executive Council indicating the number and date of the resolution in each case?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF EDUCATION AND CULTURE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRIMATI KRISHNA SAHI): (a) and (b) The information is being collected from the Delhi University and will be laid on the Table of the House.

क्यूल-साहेबगंज लूप रेलवे लाइन

1981. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व रेलवे की क्यूल-साहेबगंज लूप लाइन देश में सबसे अधिक उपेक्षित लाइन है तथा इस लाइन को दोहरा करने का काम केवल आंशिक रूप से पूरा हुआ है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस लाइन पर चलने वाली अपर इंडिया एक्सप्रेस रेलगाड़ी बन्द कर दी गई है तथा यद्यपि तिनसुखिया मेल इसी लाइन पर चलती है तथापि अमालपुर से पटना जाने वाले यात्री इस गाड़ी का लाभ नहीं उठा सकते क्योंकि इसके सैनिक डिब्बे में यहां से केवल तीन बर्थ आरक्षित हैं परन्तु यात्रियों को इस डिब्बे में चढ़ने नहीं दिया जाता और यह भी कि विक्रमशिला एक्सप्रेस में स्लीपर की सुविधाएं नहीं हैं तथा क्यूल में दानापुर और हावड़ा के लिए सुपरफास्ट गाड़ियों का ठहराव नहीं है तथा न ही क्यूल स्टेशन पर इनमें किसी बर्थ का आरक्षण उपलब्ध है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में रेल विभाग क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार रखता है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी नहीं। क्यूल-जमालपुर भागलपुर खण्ड (75 कि०मी०) पर कहीं-कहीं दोहरी लाइन बिछाना एक चालू अनुमोदित कार्य है। इस परियोजना के लिए 1987-88 के बजट में की गयी 1 करोड़ रुपये की व्यवस्था के अलावा 3 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गयी है। सुल्तानगंज-मुरारपुर खण्ड (15 कि० मीटर) पर दोहरी लाइन बिछाने का कार्य पहले से ही शुरू कर दिया गया है। शेष खण्ड पर कार्य चल रहा है।

(ख) और (ग) अपर इंडिया एक्सप्रेस को पटना के रास्ते सियालदह और मुगलसराय के बीच 33/34 एक्सप्रेस के रूप में पुनः चला दिया गया है। यात्री 155/156 तिनसुकिया मेल, 167/168 विक्रमशिला एक्सप्रेस और 103/104 वातानुकूल एक्सप्रेस में भी यात्रा कर सकते हैं।

चूंकि जमालपुर और पटना के बीच तिनसुकिया मेल से यात्रा दिन के समय ही होती है, इसलिए आरक्षण सुविधा अपेक्षित नहीं है। तथापि, दिल्ली के लिए जमालपुर स्टेशन पर दूसरे दर्जे की तीन शायिकाओं का कोटा 1-1-88 से एक उस सवारी डिब्बे के अलावा, जिसमें सैनिक कर्मचारियों को कोटा आवंटित किया गया है, एक अन्य सवारी डिब्बे में अंतरित किया जा रहा है। जहां तक क्यूल का सम्बन्ध है, दानापुर की ओर जाने वाली 103 वातानुकूल एक्सप्रेस में वातानुकूल 2 टायर की एक तथा दूसरे दर्जे की 6 शायिकाओं का आरक्षण कोटा उपलब्ध है।

12.00 Noon

PAPERS LAID ON THE TABLE

Accounts (1986-87) of the Maulana Azad College of Technology, Bhopal and related papers

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : श्रीमन्, मैं 1986-87 के वर्ष के लिए मौलाना आजाद कालेज ऑफ टेक्नालाजी भोपाल के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) और उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सहित, सभा पटल पर रखती हूं। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी०-5109/87]

I. Report and Accounts (1986-87) of the All India Institute of speech and Hearing, Mysore and related papers

II. Notifications under the Prevention of Food Adulteration Act, 1954

III. Drugs and cosmetics (First Amendment) Rules 1987

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (KUMARI SAROJ KHAPARDE): Sir, I beg to lay on the Table:

I. A copy each (in English and Hindi) of the following papers:—

(i) Annual Report of the All India Institute of Speech and Hearing, Mysore, for the year 1986-87.

(ii) Annual Accounts of the All India Institute of Speech and Hearing, Mysore, for the year 1986-87.

(iii) Review by Government on the working of the Institute.

[Placed in Library. *See* No. LT-5115/87 for (i) to (iii).]

II. A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health), under sub-section (2) of section 23 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954: